14885

विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन : 20,94,692.00 रुपये।

स्टाम्प : 1,46,700.00 रुपये। CHALLAN N. H. 151902 /31-12-2010

हम कि जोगेन्द्र सिंह व सतीश कुमार पुत्रगण श्री रामलाल व श्रीमती रामो पत्नी रामलाल निवासी ग्राम कचैड़ा बारसाबाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर (फरीक अव्वल, विक्रेता)।

एवम

मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 33 कम्यूनिटी सैंटर न्यू फ्रेन्डस कालौनी नई दिल्ली द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक 33, कम्यूनिटी सैंटर न्यू फ्रेन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक दोयम/क्रेता)।

For Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

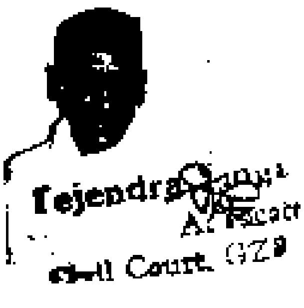

2094692/- 19,000/-

नाम ....

उक्त 232 .... 100/- 6000

श्री ओमेन्द्र सिंह ....

पुत्र श्री राम सिंह .... [illegible]

निवासी [illegible]

ने कार्यालय उप निबन्धक दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर में आज दिनांक 31/12/10 समय मध्य 4 व 5 बजे प्रस्तुत किया।

उप निबन्धक दादरी

31/12/10

नाम [illegible] .... लगभग

उक्त ....

श्री ....

पुत्र श्री ....

निवासी ....

ने कार्यालय उप निबन्धक दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर में आज दिनांक .... समय मध्य .... व .... बजे प्रस्तुत किया।

उप निबन्धक दादरी

उप निबन्धक दादरी गौतमबुद्धनगर

इस लेखपत्र का संपादन एवं इसमें लिखे प्रतिफल मु० 2094692/- [illegible]

जिसमें से ....

बाद मेरे समक्ष भुगतान उक्त श्री ओमेन्द्र सिंह [illegible]

[illegible]

विक्रीत भूमि का विवरण

(1) स्थित ग्राम कचैड़ा वारसाबाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्व नगर (उ0प्र0), कृषि भूमि खाता नं0 428 के खसरा नं0 662 रकबा 0.2920 हैक्टे0 में से 0.1460 है0 भाग प्रथम पक्ष मालिक है। अनुसार खतौनी 1409–1414 फसली जिसका फरीक अव्वल (विक्रेता) पूर्णतया स्वामी व विक्रय अधिकारी संक्रमणीय भूमिधर कागजात दर्ज है, का बैनामा हाजा हम विक्रय किया जा रहा है।

(2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। जिसका सरकारी सर्किल रेट 8000000/– रूपये प्रति हैक्टेयर है। लेकिन प्रथम पक्ष ने सौदा द्वितीय पक्ष से 1,43,47,200/–रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन 20,94,692/– रूपये (बीस लाख चौरानवें हजार छ सौ बानवें रूपये मात्र) हम तय है और सरकारी स्टाम्प क्रय मूल्य पर ही अदा किया गया है।

(3) विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से नहीं है। विक्रेता ने इस आश्य का अपना श्रीमान् तहसीलदार से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है विक्रीत भूमि ग्राम समाज, भूदान, वक्फ, पट्‌टे आदि की तथा निष्क्रान्ति व शत्रु संपत्ति नहीं है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है विक्रीत भूमि विक्रय हम स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(I) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।

(4) विक्रेता ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी व अपना जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र व विक्रीत भूमि से संबधित बारह साला प्रमाण पत्र भी विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।

(5) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक हम फरीक अव्वल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बन्धक, भार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है। कही अन्य जगह

[illegible] श्री सुरेन्द्र
पुत्र श्री [illegible] पेशा खेती
निवासी [illegible]
व श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible] पेशा खेती
निवासी [illegible]

सब रजिस्ट्रार दादरी
31/12/10

आड, रहन, बय, हिबै, मुआयदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्धसरकारी व निजी रूप आदि हम ग्रस्त नहीं है। और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली या अन्य किसी प्रकार का ड्यूज है। इस विक्रय भूमि से संबधित किसी भी प्रकार का विवाद-ग्रस्त मामला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय हम न तो दर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वन ही लम्बित है।

(6) विक्रीत मिल्कियत उक्त के विक्रय हम कोई दोष व त्रुटी नही है हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित/उल्लिखत भूमि के संबध हम हम विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक हम कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय हम पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व हम न तो निष्पादित किया है और न ही कराया है तथा न नोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य हम इस संबध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अव्वल व उनके वारिसान होगें।

(7) हम विक्रेता को विक्रय पत्र हम वर्णित उक्त खाता नं0 428 के खसरा नं0 662 रकबा 0.2920 हैक्टे0 हम से 0.1460 है0 स्थित ग्राम कचैड़ा वारसाबाद परगना दादरी तहसील व जिला गौतमबुद्व नगर के अपने हिस्से पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है। हम विक्रेता को वास्ते तरक्की काश्त एंव अन्य निजी आवश्यकता हेतू पैसों की आवश्यकता है तथा हमे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है। अतः हम विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बरजामंदी,शुद्व बुद्वि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक सहमति से गय समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना, दाखिली–खारिजी, काश्त मराई, हर किस्म कब्जा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार हम विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि

For Urvol Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd

Authorised Signat...

साक्षी भले प्र… है

अंगुठा निश… लिये गये

आदि को आज की तारीख हम विक्रय धनराशी अंकन **20,94,692/—** रूपये (बीस लाख चौरानवें हजार छ सौ बानवें रूपये मात्र) जिसके आधे अंकन **10,47,346**—(दस लाख सैंतालीस हजार तीन सौ छियालीस रूपये मात्र) होते है के एवज मे बहाथ फरीक दोयम क्रेता उपरोक्त मैसर्स उप्पल चढ्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फ्रेन्डस कालौनी नई दिल्ली पैन नंबर AAACU7200M द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक 33, कम्यूनिटी सैंटर न्यू फ्रेन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी को बैय कर दिया है यानि कतई बेच दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशी हम विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी विक्रय धनराशी बाकी नही रही है।

(8) विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये है उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालकाना प्रयोग हम लावें।

(9) विक्रेता, विक्रीत भूमि की बावत समस्त कागजात मे बजरिये बैनामा दाखिल खारिज मालकागजात मे कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वो स्वंय दर्ज करवा सकते है तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर हम फरीक अव्वल से करा सकते है, हम फरीक अव्वल को कोई एतराज नहीं होगा।

(10) अतः अब विक्रय पश्चात विक्रीत भूमि की मिलकियत भूमि हम निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबध बाकी नही रहा और न कभी रहेगा।

(11) विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल/विक्रेता की ओर कोई भार निकला ओर निकला हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या वारिसान विक्रेता की दावेदारी या किसी कानूनी नुक्स आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के

For Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

सत्यमेव जयते

उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूपसे जिम्मेदार होंगे तथा क्रेता व उसके स्थानापन व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशी को मय हर्जे खर्चे प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसानकी चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते है जिस पर फरीक अव्वल/विक्रेता को कोई आपत्ति नही होगी।

(12) विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

(13) अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, सुनकर पढ कर गवाहों की उपस्थिति हम लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

(14) विक्रेता ने विक्रीत भूमि रकबई **0.1460** हैक्टेयर, खाता नं0 428 के खसरा नं0 662 स्थित ग्राम कनैडा बारशाबाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशी प्राप्त कर ली है:—

(15) बैंक ऐक्सिस बैंक लि0 गाजियाबाद शाखा गाजियाबाद का चैक नंबर 367618 **अंकन 6,98,230/—** रूपये (छ लाख अठानवें हजार दो सौ तीस रूपये मात्र) व चैक नंबर 367620 **अंकन 5,98,231/—** रूपये (पांच लाख अठानवें हजार दो सौ इकत्तीस रूपये मात्र) व चैक नंबर 367622 **अंकन 6,98,231/ -** रूपये (छ लाख अठानवें हजार दो सौ इकत्तीस रूपये मात्र)

For Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd

Authorised Signa...

दिनांकित 31.12.10 व अंकन 1,00,000/ रू0 नगद रूप से फरीक अव्वल द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कर ली गयी है।

For Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक अव्वल (विक्रेता)

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक दोयम (क्रेता)

गवाह नं0 1 भूपेन्द्र S/o गोपाल
कपैडा आलमाबाद
गौतम बुद्ध नगर

गवाह नं0 2 रिंकी S/o ओमेन्द्र
R/o कपैडा आलमाबाद
गौतम बुद्ध नगर

तहरीरी दिनांक: 31–12–2010 मसौदा तेजेन्द्र सिंह एडवोकेट गाजियाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

INDIA

NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12AA 153055

Stamp duty paid in cash certificate in favour of- **M/S UPPAL CHADDHA HI-TECH DEVELOPERS PVT.LTD.,33,COMMUNITY CENTRE,NEW FRIENDS COLONY , NEW DELHI**

In pursuance of the order of the collector N0…memo…. dated.31.12.10 passed under Section 10-A of the stamp act.It is certified that an amount of **Rs.1,46,700-00(Inwords Rs.One lacs forty six thousand-seven hundred only)** has been paid in cash as stamp duty in respect of this instrument in the State bank of India/ Treasury/Sub treasury….**NOIDA**

By Challan No…**N151902**.. dated..**31.12.10**

A copy of which is annexed herwwith.

Dated 31.12.2010

Senior Treasury Officer

Gautam Budh Nagar

नं 317 रू 1/- में शामिल किया गया।

31 DEC 2010

रोकड़िया

कोषागार / गौतम बुद्ध नगर

M/S Uppal Chaddha Hitech Developers Pvt Ltd. N. Delhi

31/12/10

बही पुस्तक संख्या I जिल्द संख्या 3090

पृष्ठ 29 से 142 पर क्रम संख्या 14885

पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबन्धक,
दादरी

उद्धरण खतौनी

गाँव संख्या : 71020116093 ग्राम का नाम : कचैड़ा वारसाबाद परगना : दादरी तहसील : दादरी

जनपद : गौतमबुद्धनगर फसली वर्ष : 1409-1414 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	मौलिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आदेश या उसका उसकी संख्या तथा दिनांक सहित सहित देने वाले अधिकारी का पद
1	2			3	4	5	6	7-12
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।							
00428	महेन्द्र आदि जोगेन्द्र सिंह सतीश कुमार श्रीमती केश	रमजी रामलाल रामलाल रामलाल	नि. ग्राम नि. ग्राम नि. ग्राम नि. ग्राम	पू.1402 पू.1402	222 662	0.7360 0.2920		न्यायालय उपजिलाधिकारी दादरी के … एस.डी.एम. दादरी/08 दिनांक 10-11-… 22/08 धारा 176/178 ज.वि.अधि. … बनाम महेन्द्र आदि ग्राम कचैड़ा वार… ग्राम में इस न्यायालय के आदेश दि. 24-… अनुसार लेखपाल द्वारा प्रस्तुत कुर्रा दि. 0… पुष्टि की जाती है। कुर्रा नं. 1- वादी सतीश कुमार पुत्र राम… कचैड़ा वारसाबाद के ख.न. 222मि/0.1… 0.0486है. कुल 2किता/0.1713है. … 9.15/- रंग बैगनी। कुर्रा नं. 2- प्रतिवादी नं. 3 श्रीमति रामो प… रामलाल नि.ग्राम कचैड़ा वारसाबाद … 0.1226, 662मि/0.0486है. कुल 2 … है. दिशा उत्तर मध्य भा. 9.15/- रंग पीला… कुर्रा नं. 3 प्रतिवादी नं. 2 जोगिन्द्र पुत्र राम… नि.ग्राम कचैड़ा वारसाबाद के ख.न. 222… 662मि/0.0488है. कुल 2किता/0.171… दक्षिण मध्य भा. 9.15/- रंग लाल। कुर्रा नं. 4 प्रतिवादी नं. 1 महेन्द्र पुत्र रामजी… नि.ग्राम कचैड़ा वारसाबाद के ख.न. 222… 662मि/0.1460है. कुल 2 किता/0… दक्षिण भा. 27.50/- रंग नीला। रजि. … 17-12-2008

18/03/2010

पृष्ठ संख्या

पृष्ठ संख्या Pa…

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक

पी०एन०बी०

छपरौला

विशंय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) के सम्बन्ध में

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका खाता संख्या 428 खसरा नम्बर 662 रकबा .... स्थित ग्राम कचैड़ा-वारसाबाद परगना दादरी व तहसील दादरी जिला गौ०बु० नगर। मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि मै0 उप्पल चड्ढा हाईटैक डेवेलपर्स प्रा0 लि0 को बेचना है। इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण-पत्र (एन0 ओ0 सी0) की आवष्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रार्थी

महेन्द्र सिंह, सतीश पु० रामलाल

ग्रा० पो० कचैड़ा

शाखा प्रबन्धक

ऊ॰ प्र॰ सह॰ ग्राम्य विकास बैंक

दादरी

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) के सम्बन्ध में

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका खाता संख्या 428 खसरा नम्बर 662 रकबा ______ स्थित ग्राम कुलेसरा - ग़ाज़ियाबाद परगना दादरी व तहसील दादरी जिला गौ॰ बु॰ नगर ______ । मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि मै0 एप्पल चड्ढा हाईटेक डेवेलपर्स प्रा0 लि0 को बेचना है। इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) की आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रार्थी

जोगिन्द्र सिंह, सतीश S/o रामलाल

ग्राम कुलेसरा

जि॰ गौ॰ बु॰ नगर

NOBUEA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 442373

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक........................ स्थान गाजियाबाद में श्री [illegible] .... पुत्र/पति [illegible] निवासी ग्राम [illegible] परगना [illegible] , तहसील [illegible] व जिला [illegible]

प्रथम पक्ष

एवं

मै0 उप्पल चढ्ढा हाईटैक डवलपर्स प्रा0 लि0 पंजीकृत कार्यालय 33 कम्यूनिटी सेंटर -यू फ्रेंडस कॉलोनी नई दिल्ली द्वारा .... पुत्र.........................

द्वितीय पक्ष

विदित हो कि प्रथम पक्ष ग्राम.. परगना व तहसील.................... जिला.............................. में स्थित भूमि खाता सं0............................. खसरा सं............ .... कुल रकबा .... हैक्टेयर (अपने सम्पूर्ण भाग) का संक्रमणीय भूमिधर मालिक, काबिज है। राजपत्रों में उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष का नाम दर्ज है कोई अन्य व्यक्ति उक्त भूमि में किसी प्रकार का हकदार व हिस्सेदार नही है। उक्त भूमि पर अविभाजित परिवार का या कोई अन्य पारिवारिक वाद विवाद या कोई केस नही चल रहा है।

प्रथम पक्ष की उक्त भूमि आज की तारीख तक हर प्रकार के कर्जे सरकारी व गैर सरकारी आदि से पाक व साफ है।

यह कि प्रथम पक्ष आज दिनांक .... को अपनी उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय कर दिया है। जोकि सब रजिस्ट्रार दादरी कार्यालय में बही सं0 1 के पुस्तक सं0................ पृष्ठ...................... पर क्रम सं0 .... पर दर्ज है।

प्रथम पक्ष उक्त विक्रय के फलस्वरुप सम्पूर्ण प्रतिफल की धनराशि द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिये है। यह है कि प्रथम पक्ष को प्रतिफल धनराशि के अलावा उसके सम्पूर्ण हिस्से पर 400 रुपए प्रति वर्गगज के हिसाब से रु0................/– द्वारा चैक नं. .... दिनांक .... बैंक...................... द्वितीय पक्ष द्वारा दिया जा रहा है जिसके फलस्वरुप निम्नलिखित शर्तों की पाबन्दी दोनों पक्षों व उनके वारिसान पर रहेगी।

1. यह कि विक्रीत भूमि की निर्धारित मूल्य धनराशि अंकन.......................... रुपए व उक्त भूमि पर उत्पन्न अन्य किसी भी अनुतोष लाभ या पुनर्वास हेतु आवंटित प्लाट की एवज में प्राप्त होने वाली धनराशि रु. 400 प्रति गज के हिसाब से निर्धारित धनराशि............................. दोनों पक्षों को मान्य है।

2. यह कि प्रथम पक्ष मौके पर कब्जा द्वितीय पक्ष को करा दिया है।

3. यह कि विक्रीत भूमि पर प्रथम पक्ष का कोई भी हक या अधिकार शेष नही रहा समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये है।

4. यह कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में पुनर्वास योजना के तहत यदि भविष्य में किसी भी प्रकार के भूखण्डों का वितरण शासन या किसी निकाय द्वारा किया जाता है तो उस पर प्रथम पक्ष को कोई अधिकार नही होगा। समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष के होंगे। इन अधिकारों के अंतरण हेतु प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से रु.................... द्वारा चैक सं0......................... दिनांक...................... बैंक .... से प्राप्त कर लिये है।

5. यह कि प्रथम पक्ष का विक्रय के फलस्वरुप उक्त भूमि पर लगी फसल, नलकूप या किसी भी परिसम्पत्ति पर कोई अधिकार नही होगा।

अतः यह अनुबन्ध पत्र लिख दिया है ताकि भविष्य में काम आवे।

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

गवाह

1.

2.